

01. कालीबाई पत्नि शंकरलाल जाति बलाई उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी हमेरिया तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा (राज.)

.....प्रार्थी

**बनाम**

01. रमेश पुत्र हरलाल जाति बलाई उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)  
 02. सोसर पत्नि हरलाल जाति बलाई उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)  
 03. कालु पुत्र उदा जाति बलाई उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी दल्लसिंह का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा (राज0)

.....विपक्षीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट**

:- आदेश :-

दिनांक: 7.4.2022

प्रार्थना पत्र कालीबाई पत्नि शंकरलाल जाति बलाई उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी हमेरिया तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा (राज.) ने जरिये अभिभाषक श्री रामफूल धाकड प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा रामपुरिया पटवार हल्का जलिन्द्गी तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 11 पर अंकित आराजी संख्या 134/3, 135/1, 136/2, 396/136 कुल किता 04 रकबा 0.9146 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 18 पर अंकित आराजी संख्या 134/2, 135, 136/1, 396/1 कुल किता 4 रकबा 0.3157 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 19 पर अंकित आराजी संख्या 134, 134/1, 136, 396/2 कुल किता 04 रकबा 1.2222 हैक्टेयर भूमि पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।


प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ोसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है। भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियां कंला को पत्थरगढी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस 500/- रूपये तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थी अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा रामपुरिया पटवार हल्का जलिन्द्गी तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 11 पर अंकित आराजी संख्या 134/3, 135/1, 136/2, 396/136 कुल किता 04 रकबा 0.9146 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 18 पर अंकित आराजी संख्या 134/2, 135, 136/1, 396/1 कुल किता 4 रकबा 0.3157 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 19 पर अंकित आराजी संख्या 134, 134/1, 136, 396/2 कुल किता 04 रकबा 1.2222 हैक्टेयर भूमि बशामलात पड़ोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 बिजौलियाँ

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 60/2022

तारीख 7.4.2022

01. कालीबाई पत्नि शंकरलाल जाति बलाई उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी हमेरिया तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

01. रमेश पुत्र हरलाल जाति बलाई उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. सोसर पत्नि हरलाल जाति बलाई उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. कालु पुत्र उदा जाति बलाई उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी दल्लसिंह का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....विपक्षीगण

### प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक: 7.4.2022

प्रार्थना पत्र कालीबाई पत्नि शंकरलाल जाति बलाई उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी हमेरिया तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज.) ने जरिये अभिभाषक श्री रामफूल धाकड प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा रामपुरिया पटवार हल्का जलिन्द्री तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 11 पर अंकित आराजी संख्या 134/3, 135/1, 136/2, 396/136 कुल किता 04 रकबा 0.9146 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 18 पर अंकित आराजी संख्या 134/2, 135, 136/1, 396/1 कुल किता 4 रकबा 0.3157 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 19 पर अंकित आराजी संख्या 134, 134/1, 136, 396/2 कुल किता 04 रकबा 1.2222 हैक्टेयर भूमि पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते हैं। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है। भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियाँ कंला को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500/- रूपयें तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थी अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा रामपुरिया पटवार हल्का जलिन्द्री तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 11 पर अंकित आराजी संख्या 134/3, 135/1, 136/2, 396/136 कुल किता 04 रकबा 0.9146 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 18 पर अंकित आराजी संख्या 134/2, 135, 136/1, 396/1 कुल किता 4 रकबा 0.3157 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 19 पर अंकित आराजी संख्या 134, 134/1, 136, 396/2 कुल किता 04 रकबा 1.2222 हैक्टेयर भूमि बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ